



बिहार सरकार
(पर्यावरण एवं वन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या-FC-972

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अशोक कुमार गुप्ता,
पिता—श्री रामायण गुप्ता,
ग्राम+पो०—अमरपुर,
जिला—सीवान, बिहार,
पिन कोड— 841 234

पटना 14, दिनांक— 04/09/2018

विषय— श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा सीवान जिलान्तर्गत आन्दर—रघुनाथपुर पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.012 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक— FP/BR/Others/23849/2017/2506 दिनांक 23.08.2018 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/23849/2017/2506 दिनांक 23.08.2018 द्वारा विषयक प्रस्ताव पर कुल 14 अधिरोपित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है।

2. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल— 0.012 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 7,512/- (सात हजार पाँच सौ बारह रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 50 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या—03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 254/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 5,13,120.00 की राशि को प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रु. 7,512.00 (+) रु. 5,13,120.00 अर्थात् कुल रु. 5,20,632.00 (पाँच लाख बीस हजार छः सौ बत्तीस रुपये) मात्र को विभागीय वेबसाइट forestsclearance.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत इसकी सूचना प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 14 तक अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को 15 दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC - १७२

दिनांक ०५/०९/२०१८

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि रु. 5,13,120/- का प्राक्कलन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

ह०/—

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक—FC - १७२

दिनांक ०५/०९/२०१८

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, सीवान अंचल, सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।